न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 47/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/157)

1. इमरती पत्नि लोकराम जाति अहीर, निवासी ग्राम दाईका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
2. कवँर सिंह पुत्र लोकराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम दाईका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
3. सुबे सिंह पुत्र लोकराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम दाईका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
4. बरकत सिंह पुत्र लोकराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम दाईका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
5. सतवीर सिंह पुत्र लोकराम जाति अहीर, निवासी ग्राम दाईका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
6. चम्पा पुत्री लोकराम जाति अहीर, निवासी ग्राम दाईका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर निर्णय दिनांक 26.11.2021

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड़, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 20.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 26.11.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 04.04.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार कोटकासिम, जिला अलवर द्वारा दिनांक 24.11.2021 को प्रस्ताव बाबत चालू स्थाई रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ ग्राम दाईका, तहसील कोटकासिम के आराजी खसरा नम्बर 163 रकबा 0.73 है0 में से 0.08 है0 मौके पर चालू स्थाई रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर ने तहसीलदार कोटकासिम के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 24.11.2021 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 163 रकबा 0.73 है0 में से 0.08 है0 मौके पर चालू स्थाई रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 26.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट इमरती पत्नि लोकराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर दिनांक 26.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी हल्का कुतुबपुर द्वारा दिनांक 22.11.2021 को एक मौका निरीक्षण रिपोर्ट आराजी खसरा नम्बर 163 वाके ग्राम दाईका में दाईका से दाईका की ढाणी की तरफ जाने वाले रास्ते की तैयार कर तहसीलदार कोटकासिम के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर तहसीलदार कोटकासिम द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 22.11.2021 के आधार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को अपने पत्र क्रमांक/भू–अभिलेख/2121/20 दिनांक 24.11.2021 के तहत् उक्त आराजी में से रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना कोई सूचना जारी किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 पारित किया है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में मिन अपीलान्टान का एक वाद संख्या 101/2008 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.06.2017 को न्यायालय द्वारा पारित कर दी गई और कुरेजात कायम के लिए पत्रावली नियत की गई जो अन्तिम डिक्री हेतु न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बावजूद भी तहत् न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसी आराजी से सम्बन्धित अन्य सहकाश्तकार मुकेश वगैरहा ने भी एक वाद हम अपीलान्टान के विरूद्ध किया हुआ है जो भी उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर में सन् 2016 से विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 14.10.2016 को आराजी खसरा न० 163 रकबा 0.73 है० वाके ग्राम दाईका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जो वाद भी आज दिनाक तक तहत् न्यायालय में विचाराधीन है। तहत् न्यायालय द्वारा इन दावों के विचाराधीन होने व स्वयं के द्वारा मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश देने के बावजूद भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गये है। अपीलाधीन आदेश महज सरपंच ग्राम पंचायत कान्हडका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर के प्रमाण पत्र के आधार पर दिया गया है। जबकि मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है।

विद्वान तहत् न्यायालय ने किसी भी खातेदार को आदेश देने से पूर्व कोई नोटिस नही दिया और ना ही मौके की रिपोर्ट खातेदारान के समक्ष तैयार की यहां यह भी कथन है कि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में केवल मात्र खसरा नं० 163 का हवाला दिया है। किसी खातेदार का नाम दर्ज नही किया गया है और ठीक इसी प्रकार तहत् न्यायालय ने भी उक्त खसरा न० के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा किसी भी खातेदार व अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट तैयार की उस पर किसी भी गांव वाले के हस्ताक्षर नही है। उस रिपोर्ट पर पटवारी हल्का ने दिनांक 22.11.2021 को रिपोर्ट तैयार की। जिस पर दिनांक 24.11.2021 को आईएलआर एवं तहसीलदार कोटकासिम द्वारा साईन किये गये तथा उपखण्ड अधिकारी को अनुशंषा करते हुए पत्र प्रेषित किया। इससे स्पष्ट है कि केवल मात्र सरपंच के प्रमाण पत्र व पटवारी हल्का की मिलीभगत के कारण यह कार्यवाही की गई है। जो आराजी खसरा नं0 163 रकबा 0.73 है0 में से रास्ता दिया गया है उससे स्पष्ट है कि हम खातेदारान को तंग व परेशान करने की नियत से खसरा नं० 163 के बीचोबीच से रास्ता दिया गया है जिससे कि खसरा नं0 163 की सारी भूमि खराब व कृषि योग्य नही रही। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित नही किया है कि उक्त खसरा नं० में जो रास्ता दर्शाया गया है वह रास्ता कहां से चालू होकर कौनसे गांव व सड़क को जाकर मिलता है। केवल मात्र मिन अपीलान्ट के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी में रास्ता दर्शाते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो स्वतः ही विश्वसनीय नही है और निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीवक्ता अपीलान्ट्स ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 की कोई जानकारी मिन अपीलान्ट्स को नही थी। जिस पर मिन अपीलान्ट कँवर सिंह ने जानकारी की तो पता चला कि मिन अपीलान्ट की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं० 163 रकबा 0.73 है0 में से 0.08 है0 का रास्ता कदीमी बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.11.2021 पारित किया गया है। जिसकी नकल का प्रार्थना पत्र जरिये वकील 24.02.2023 को प्रस्तुत किया। जो नकल 27.02.2023 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात् वकील साहिबान से सलाह मशवरा किया जिन्होनें अपील पेश करने की सलाह दी। अपीलान्ट ने पैसे आदि का इन्तजाम कर वकील साहब से आकर सम्पर्क किया तो उन्होंने अपील तैयार करवाकर आज बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत की है हालांकि जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः निवेदन हैं कि अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य आदेश तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर दिनांक 26.11.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार उक्त आराजी का दिनांक 22.11.2021 को मौका पर्चा बनाया गया है। जिसके अनुसार उक्त विवादग्रस्त आराजी ग्राम दाईका ग्राम पंचायत कान्हड़का में खसरा नम्बर 163 में से 21 फुट चौडा रास्ता एक आबादी से दूसरी आबादी को जोडता है जो करीब 50 वर्षों से नियमित रूप से शांतिपूर्वक चालू है मौके पर चालू है। जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम दाईका में दाईका से दाईका की ढाणी की तरफ जाने वाले रास्ते का मौका देखा गया, जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है ग्राम वासियों के अनुसार यह कदीमी रास्ता पुराना है व मौके पर चालू है मौके अनुसार उक्त रास्ता खसरा नम्बर 163 में से होकर गुजरता है। जिसके संदर्भ में उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार कोटकासिम, जिला अलवर द्वारा प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाये गये है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 27.02.2023 से होना अंकित किया गया है, अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अपीलान्ट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है जिसको सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेश दिनांक 26.11.2021 पारित करने संबंधी कोई क्रमिक टिप्पणी उपलब्ध नहीं है। जो रास्ता कायम किया गया है वह कहॉ से कहॉ को जा रहा है तथा खसरा नम्बर 163 के दोनों तरफ क्या रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व से दर्ज है तथा रास्ता खेत के मध्य से क्यों तथा किन कारणों से प्रदान किया गया है ? क्या खेत के बीचो–बीच में

रास्ता दिया जाना खेतों के संयुक्तिकरण के सिद्धान्त (Consolidation of land holding) के विपरित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के संबंध में कोई विवरण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। उक्त के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, हाल जिला खैरथल तिजारा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन दावों के आलोक में प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, हाल जिला खैरथल तिजारा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन दावों के आलोक में प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर